पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

(SC / ST / OBC विद्यार्थियों के लिए)

सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अनुसार छात्रवृत्ति हेतु पात्रता निम्न प्रकार है:

1. SC / ST वर्ग के विद्यार्थी

- परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000 तक निर्धारित थी।
- हाल ही में संशोधन अनुसार SC वर्ग के लिए आय सीमा बढ़ाकर ₹8,00,000 कर दी गई है।
- निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी 100% छात्रवृत्ति (पूरी फीस वापसी) के पात्र होंगे।

2. OBC वर्ग के विद्यार्थी

- 100% छात्रवृत्ति के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 तक होना आवश्यक है।

3. आवश्यक निर्देश

- सभी पात्र विद्यार्थी समय पर अपना आवेदन करें।
- आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
- आय प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज सही एवं अपडेटेड होना अनिवार्य है।

नोट: केवल वही विद्यार्थी छात्रवृत्ति के पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होगी।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा अन्य छात्रवृत्ति की जानकारी

1. मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (राज्य सरकार द्वारा प्राप्त)

- इस छात्रवृत्ति में 10,000/- सालाना ट्यूशन फीस मिलती है।
- अभिभावक का असंगठित कर्मकार का कार्ड होना चाहिए जो कलेक्टर ऑफिस से बनता है । (दैनिक वेतन)
- किसी भी वर्ग की छात्रा इसका लाभ ले सकती है।

2. प्रगति छात्रवृत्ति (AICTE / केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त)

- इसमें 50,000/- की राशि सालाना प्राप्त होती है।
- अभिभावक की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए।
- छात्रा के दसवीं मे 80% से अधिक होने चाहिए।
- एम. पी. की मेरिट लिस्ट के आधार पर यह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
- किसी भी वर्ग की छात्रा इसका लाभ ले सकती है।

3. सक्षम छात्रवृत्ति (AICTE / केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त)

- इसमें 50,000/- की छात्रवृत्ति सालाना प्राप्त होती है।
- दिव्यांग छात्राओं के लिए यह छात्रवृत्ति होती है।
- दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जबलपुर से बना हुआ चाहिए।
- किसी भी वर्ग की छात्रा इसका लाभ ले सकती है।

4. स्वनाथ छात्रवृत्ति (AICTE / केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त)

- इसमें 50,000/- की छात्रवृत्ति सालाना प्राप्त हो सकती है।
- वह छात्रा जिसके माता-पिता नहीं हैं।
- वह छात्रा जिसके **माता या पिता** का निधन कोविड में हुआ हो और उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर “कोविड के कारण मृत्यु हुई है” यह लिखा हुआ हो।
- सशस्त्र बलों/केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए जवानों की बालिकाएँ।
- किसी भी वर्ग की छात्रा इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।